दिनांक 10-09-2018 को मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक का कार्यवृत्तः-

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः-

1- श्री शैलेश बगौली, सचिव एवं आयुक्त, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
2- श्री बी0एस0, मनराल, अपर सचिव एवं निदेशक, शहरी विकास विभाग, देहरादून।
3- श्री ब्रजेश कुमार संत, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
4- श्री एच0सी0 सेमवाल, अपर सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5- श्री रणजीत सिंह, उप सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6- श्री अरविन्द सिंह पांगती, उप सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
7- श्री आलोक कुमार सिंह, अनुसचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शास
8- श्री राजेश कुमार, अनुसचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
9- श्री ए0पी0 अंशुमन, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस विभाग, उत्तराखण्ड।
10- श्रीमती सुनीता सिंह, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11- श्री ए0आर0 सेमवाल, अपर आयुक्त, आबकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
12- श्री संजय कुमार, सहायक आयुक्त, कुमायूँ आयुक्त कार्यालय, नैनीताल।
13- श्री लोकेश्वर सिंह, पुलिस अधीक्षक, (यातायात), देहरादून।
14- श्री हरीओम शर्मा, चीफ इंजिनियर, एन0एच0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
15- श्री आर0सी0 अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
16- श्री आर0 सी0 शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, एन0एच0, लोक निर्माण विभाग।
17- श्री लीलाधर व्यास, संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
18- श्री दिनेश चन्द्र पठोई, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
19- श्री अरविन्द पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
20- श्री नरेश संगल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, परिवहन मुख्यालय।
21- श्री मनोज श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, सूचना विभाग, देहरादून।
22- कैप्टन अभयजीत पी0एस0, बी0आर0ओ0।
23- श्रीमती मधुबाला रावत, शिक्षा विभाग, सदस्य लीड एजेंसी।
24- श्री प्रबोध कुमार घिल्डियाल, निरीक्षक यातायात, सदस्य लीड एजेन्सी।
25- श्री मनमोहन सिंह, उप निरीक्षक, पुलिस विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
26- डॉ0 प्रवीन कुमार, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
27- श्रीमती अनीता चौहान, नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
28- श्री दीपक जैन, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
29- श्री पी0के0 दीक्षित, ए0ई0, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
30- श्री पी0एन0 गवासने, जी0एम0(टी), एन0एच0ए0आई0, आर0ओ0, देहरादून।
31- श्री पी0एस0 गुसांई, जी0एम0(टी), एन0एच0ए0आई0, आर0ओ0, देहरादून।
32- श्री पी0के0 मौर्य, पी0डी0, एन0एच0ए0आई0, देहरादून।
33- श्री पी0एस0 पाण्डेय, मैनेजर, एन0एच0ए0आई0, नजीबाबाद।
34- श्री एस कालरा, पीडी, पीआईयू, रूद्रप्रयाग।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित अधिकारियों का परिचय प्राप्त करते हुए बैठक का शुभारम्भ किया गया। संचिव, परिवहन द्वारा वर्ष 2018 में माह जुलाई, 2018 तक घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया गया कि राज्य में 80 प्रतिशत दुर्घटनाएं मैदान के 04 जनपदों में ही घटित हुई हैं। यह भी अवगत कराया गया

कि इन्हीं 04 जनपदों में जनसंख्या घनत्व एवं वाहनों का घनत्व सर्वाधिक है। माह जनवरी से जुलाई, 2018 तक राज्य में यद्यपि दुर्घटनाओं की संख्या में 7.45 प्रतिशत की कमी आयी है, परन्तु मृतकों की संख्या में 9.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो चिन्ताजनक है। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि इस वर्ष चम्पावत, अल्मोड़ा, टिहरी एवं पौड़ी जनपद में कुछ बड़ी दुर्घटनाएं घटित हुई है, जिसके कारण मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन दुर्घटनाओं में चालक की लापरवाही के साथ-साथ सड़क की दशा की भी भूमिका रही है।

2– राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनांक 09–02–2018 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की विभागवार स्थिति का भी प्रस्तुतीकरण परिषद के समक्ष किया गया। इसके अतिरिक्त रिट याचिका संख्या 2112/2011 अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–07–2018 से भी मा0 परिषद को अवगत कराया गया।

3– मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के चिन्हित 129 ब्लैक स्पॉट में से अभी तक 79 ब्लैक स्पॉट पर रोड सेफ्टी ऑडिट की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, जबकि 16 स्थानों पर ऑडिट किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि 33 ब्लैक स्पॉट पर दीर्घकालीन कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

4– इसी प्रकार ब्लैक स्पॉट से इतर 986 दुर्घटना सम्भावित स्थलों में से 103 में सुधार की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, जबकि अन्य स्थलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आने वाले 531 स्थलों के सम्बन्ध में आगणन प्राप्त हो गये हैं और उक्त आगणनों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

5– एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–58 के निर्माण कार्य में जो गतिरोध उत्पन्न हो रहा था उसे दूर कर लिया गया है एवं वर्षा के तत्काल बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

6– चिकित्सा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में राज्य में 08 जनपदों में ट्रॉमा सेन्टरों की स्थापना की जा चुकी है, जो कियाशील हैं। इसके अतिरिक्त टिहरी एवं रूद्रप्रयाग जनपद में ट्रॉमा सेन्टर की स्थापना का कार्य गतिमान है। पौड़ी एवं पिथौरागढ़ जनपद में ट्रॉमा सेन्टर स्थापित किये जाने की कार्यवाही भी की जा रही है।

7– सड़क सुरक्षा विज्ञापन तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा सड़क सुरक्षा सम्बन्धी 13 फिल्मों का निर्माण किया गया है, जिनका प्रदर्शन सिनेमाघरों में एवं विद्यालयों में किया जा रहा है।

8– वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि राज्य में 20 निर्माता/आपूर्तिकर्ताओं को स्पीड गवर्नर विकय/स्थापित करने हेतु अधिकृत